दूरभाषः 05278-245957
फैक्सः 05278-248123

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2018 / मेमो   दिनांकः 20 जनवरी, 2018

कार्यालय--ज्ञाप

एतदद्वारा विश्वविद्यालय के पत्र संख्या लो0अ0वि0 / कु0स0का0 / 2017 / 283 दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 एवं लो0अ0वि0 / कु0स0का0 / 2017 / 289 दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों / पाठ्यकमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों का डाटा पूरित कराते हुए दिनॉक 15 जनवरी , 2017 तक विश्वविद्यालय की बेवसाइट के सम्बन्धित पोर्टल पर सत्यापित किये जाने के निर्देश माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में प्रदान किये गये थे। परन्तु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुल 632 में से मात्र 398 महाविद्यालयों द्वारा ही उक्त कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया गया तथा अवशेष महाविद्यालयों द्वारा उक्त कार्य के प्रति रूचि नही ली गयी है। अवशेष महाविद्यालयों के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 52 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा टीचर्स प्रोफाइल तो भरी जा चुकी है, परन्तु शिक्षकों द्वारा पूरित किये गये डाटा को सत्यापित नही किया गया है तथा
2. 171 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ नही की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को प्रवेशित कर लिया गया है परन्तु उनके शिक्षण कार्य हेतु अनुमोदित शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित नही की गयी है। तत्कम में माननीय कुलपति जी के आदेशोपरान्त महाविद्यालयों के गैरजिम्मेदाराना रवैये एवं मानकों को पूरा न किये जाने के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्देशित एवं सूचित किया जाता है-

कमांक 1 पर उल्लिखित जिन 52 महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के डाटा के सत्यापन का कार्य नही किया गया है उन्हें इस चेतावनी के साथ एक सप्ताह का अतिरिक्त समय इस आशय के साथ प्रदान किया जाता है कि यह कार्य दिनॉक 27-01-2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय तथा कमांक 2 पर उल्लिखित 171 महाविद्यालयों के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि उनके महाविद्यालय में बगैर शिक्षकों के छात्रों को दिये गये प्रवेश के दृष्टिगत इन महाविद्यालयों को ब्लैक लिस्ट करते हुए आगामी शैक्षिक सत्र 2018-19 में प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है, तथा इन महाविद्यालयों को वर्ष 2017-18 में शिक्षकों के अभाव में वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जायेगा एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों की लगातार अवहेलना एवं सम्बद्धता सम्बन्धी मानक अपूर्ण पाये जाने के कारण आगामी वर्षों में किसी अन्य पाठ्यकम की संचालन की अनुमति हेतु अनापत्ति / सम्बद्धता प्रदान नही की जायेगी।

विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर सत्यापित किये गये शिक्षकों के डाटा में कुल 171 शिक्षकों द्वारा फर्जी आधार नं0 अंकित किये गये तथा 191 शिक्षकों द्वारा फर्जी पैन कार्ड सं0 अंकित किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि महाविद्यालयों द्वारा उनके महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों के डाटा के सत्यापन के कार्य में रूचि नहीं ली गयी है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा सम्बन्धित शिक्षक एवं महाविद्यालय के विरूद्ध कूटरचना के लिए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रकियान्तर्गत है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक / प्राचार्य, समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, सम्बद्ध डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
2. प्रोग्रामर ई0डी0पी0।
3. प्रभारी सम्बद्धता विभाग।
4. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।

(संजय कुमार)
कुलसचिव